न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर

(पीठासीन अधिकारी श्री दाताराम आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 23 / 2019 **GCMS NO-2019/00031**

प्रार्थी		अप्रार्थी
लक्ष्मीकांत गुप्ता, खादय सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर।	**बनाम**	1. श्री आसकरण गोयल पुत्र श्री खेतीदास गोयल उम्र 42 वर्ष जाति दर्जी निवासी वार्ड नं. 09 दर्जीयों की गली, पोकरण जिला जैसलमेर (मौके पर विक्रेता) 2. मैसर्स श्री आशापूर्णा रेस्टोरेंट एनएच–15 जैसलमेर रोड़ पोकरण जिला जैसलमेर

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (।।) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से खादय सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. अप्रार्थी संख्या 01 व 02 बावजूद सूचना अनुपस्थित व उनके अधिवक्ता भी अनुपस्थित।

:: निर्णय :: **दिनांकः 27.10.2022**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खादय सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (।।) के तहत् अप्रार्थी गण के विरूद्ध न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.09.2018 को दोपहर 2.00 पीएम पर दौरान निरीक्षणार्थ मैसर्स श्री आशापूर्णा रेस्टोरेंट एनएच–15 जैसलमेर रोड़ पोकरण जिला जैसलमेर का निरीक्षण किया। प्रार्थी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान में पनीर खादय पदार्थ रखा मिला विक्रय कर रहा था। जिसके अमानक होने का संदेह होने पर नमूने लेने वास्ते विक्रेता एवं मालिक को कहा एवं मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या 5ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात पनीर लगभग 250–250 एमएल की प्लास्टिक के डिब्बे नमूने वास्ते लिये, जिसके पेटे 260/– रूपये नगद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की। खरीद सुदा पनीर के चार नमूने लिये प्रत्येक को प्लास्टिक के डिब्बे पैक कर मौके पर लेबल तैयार कर प्रत्येंक नमूना भाग पर चिपकाएं एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सीरियल नम्बर एन–874 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। और जार को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ जैसलमेर की हस्ताक्षर सुधा पेपर स्लिप एन–874 नियमानुसार चारों नमूनो पर नीचे से उपर तक गोद से

27/10/22

Scanned with CamScanner

चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लिप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं प्रार्थी ने खाद्य पदार्थ का विवरण एन–874 पनीर लिख कर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों भागो को अपने कब्जे में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहो को मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जो उन्होने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं प्रार्थी स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। प्रार्थी ने उक्त में से एक नमूना खाद्य विश्लेषक जोधपुर को जांच हेतु भेजा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/5006–10 दिनांक 05.04.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज. जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./656/Act/2018/675 दिनांक 11.10.2018 अनुसार उक्त नमूना सबस्टेण्डर्ड पाया गया। उक्त केस में विक्रेता 1. आसकरण गोयल पुत्र श्री खेतीदास गोयल उम्र 42 वर्ष जाति दर्जी निवासी वार्ड नं. 09 दर्जीयों की गली, पोकरण जिला जैसलमेर (मौके पर विक्रेता) 2 श्री आशापूर्णा रेस्टोरेंट एनएच–15 जैसलमेर रोड़ पोकरण जिला जैसलमेर ने पनीर सबस्टेण्डर्ड का विक्रय करके खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें।

अप्रार्थी सं. 01 व 02 बावजूद सूचना अनुपस्थित, उन्हें अंतिम अवसर दिया गया। अंतिम अवसर पर भी अप्रार्थी गण व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब प्रस्तुत किया। अतः जवाब बंद किया जाकर एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रकरण में प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए नियमानुसार जुर्माना लगाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया, व प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में सलंग्न खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं L.S./656/Act/202018/675 दिनांक 11.10.2018 के अनुसार पनीर खाद्य पदार्थ का उक्त नमूना सबस्टेण्डर्ड पाया गया हैं। अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब व साक्ष्य पेश नहीं किया। जिससे अप्रार्थीगण पर सबस्टेण्डर्ड स्तर के पनीर खाद्य पदार्थ का विक्रय के लिए दोष साबित है। अप्रार्थीगण द्वारा खाद्यसुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्यसुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, एवं अप्रार्थी 1. आसकरण गोयल पुत्र श्री खेतीदास गोयल उम्र 42 वर्ष जाति दर्जी निवासी वार्ड नं. 09 दर्जीयों की गली, पोकरण

Cup. 27/7/22

Scanned with CamScanner

जिला जैसलमेर (मौके पर विक्रेता) 2 श्री आशापूर्णा रेस्टोरेंट एनएच–15 जैसलमेर रोड़ पोकरण जिला जैसलमेर फर्म के सबस्टेण्डर्ड स्तर का पनीर खाद्य पदार्थ विक्रय में उपयोग के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी सं. 01 पर 20000/– अक्षरे बीस हजार रूपये व अप्रार्थी सं. 02 पर 20000/– अक्षरे बीस हजार रूपये कुल 40000/– अक्षरे चालीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद ''0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि'' में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(दाताराम) 27/X/22
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर

Scanned with CamScanner